(i)

No. EDN-H (21) B (15)/66/2019-Equivalence-
Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh
Telephone No. 0177-2653120, 2653386, Extn. 234 Fax: 0177-2812882
E-mail: dhe-sml-hp@gov.in
E-mail: genbr@rediffmail.com

Dated: Shimla-171001 the September, 2019

To

1. The Group Commander, NCC Group Headquarter, Shimla-1
2. All the Principals, Govt. Colleges in Himachal Pradesh
3. All the Dy. Directors of Higher Education, in Himachal Pradesh
4. All the NCC Bn, in Himachal Pradesh
5. All the Principals/ Headmasters GSSS/GHS' in Himachal Pradesh
6. The Chief Librarian, Central State Library, Solan, District Solan, Himachal Pradesh
7. All the Librarians of District Libraries in Himachal Pradesh

Subject: - Regarding Public Notice.

Memo,

Please find enclosed herewith a copy of letter No. 10-4/2019-School-3-dated: 26.07.2019 received from Deputy Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, New Delhi on the subject cited above.

In this connection, it is to inform you that the Board of Higher Education Delhi has been declared fake and fraud Board by the Government of India, Ministry of Human Resource Development and Department of School Education and Literacy, New Delhi vide letter No. 10-4/2019-School-3-dated: 26.07.2019. If any student produced certificate issued by above said board for the purpose of admission/higher studies may not be considered.

These instructions may be complied with strictly and in case of any laxity concerned Controlling Officer/ Head of Institution shall be held responsible and disciplinary action as warranted under rules shall be initiated against the official responsible.

— Sign —
Director of Higher Education
Himachal Pradesh
E-mail: dhe-sml-hp@gov.in
(Phone No. 0177-2652579)

Endst. No. Even Dated: Shimla-171001 the September, 2019

Copy for information to:-

1. The Principal Secretary (Education), to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 w.r.t. his letter Number-EDN-B-B (12)-10/2018-Dated: 13.09.2019.
2. Shri Vibhuti Narayan Mishra, Deputy Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, New Delhi w. r. t. his letter No. 10-4/2019-School-3-dated: 26.07.2019.
3. The Supdt., Computer Cell, D.H.E, Shimla-I to upload the letter on departmental website.

Director of Higher Education
Himachal Pradesh

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०

27 SEP 2019

(196)

18/9/19

ई0डी0एन0—बी0—बी0(12)—10 / 2018
हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग

प्रेषक:

प्रधान सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:

निदेशक उच्चतर / प्रारंभिक शिक्षा
हि0प्र0, शिमला—171001

शिमला—171002 13-9-2019

विषय:— सार्वजनिक सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर उप सचिव, भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त पत्र सं0: 10—4 / 2019—स्कूल—3 दिनांक 26.07.2019 की छायाप्रति से संलग्न करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि मामले पर आवश्यक कार्रवाई करें तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवाने की कृपा करें।

भवदीय,

(गोपाल शर्मा, भा0प्र0से0)
विशेष सचिव (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रतिलिपि उप सचिव (प्रारंभिक शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार को उक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए यह अनुरोध है कि मामले में आगामी आवश्यक कार्रवाई करें।

(गोपाल शर्मा, भा0प्र0से0)
विशेष सचिव (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

DHE 20/9/19 5705
16 SEP 2019
Branch General

Sri Satish Sharma
17/09/19.

फा.सं.10-4/2019-स्कूल-3
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

*****

नई दिल्ली, शास्त्री भवन
दिनांक 26 जुलाई, 2019

सार्वजनिक सूचना

जन सामान्य को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय ने यह देखा है कि 'उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली' के नाम से संचालित एक संगठन दिनांक 29.06.2009 के पत्र संख्या 1812/2009-एसकेटी-I और दिनांक 26 अप्रैल, 2013 के अ.शा.पत्र सं.3-5/2013-स्कूल-III के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा एक मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड होने का दावा कर रहा है। इस मंत्रालय के प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करने पर यह पाया गया है कि इस मंत्रालय द्वारा तथाकथित उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के पक्ष में ऐसे कोई पत्र जारी नहीं किए गए हैं। अत: ये दोनों पत्र नकली और जाली हैं। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता कि मंत्रालय ने कथित संगठन अर्थात उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली को मान्यता देने के संबंध में कोई पत्र, चाहे जो हो, कभी जारी नहीं किया है।

2. शिक्षा निदेशालय दिल्ली प्रशासन के दिनाक 30.06.1962 के संकल्प एफ 32(10)/62-शिक्षा के जरिए कथित संगठन अर्थात उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली दिनांक 01.07.1962 से विघटित हो गया है। अत: यदि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा स्वयं की मान्यता के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है/किए जाते हैं, तो इसे जाली माना जाए और दस्तावेजों की सत्यता की पहले सबंधित संगठन/मंत्रालय से पुष्टि कराई जाए।

3. जन साधारण, सभी छात्रों, व उनके माता-पिता और अन्य सभी हितधारकों को परामर्श दिया जाता है कि वे उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में रखें और तदनुसार निर्णय लें।

(विभूति नारायण शुक्ला)
उप सचिव, भारत सरकार
ई मेल-vibhutin.shukla@gov.in

1. सभी राज्य/सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रधान सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु।

2. निदेशक, पत्र सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली को इस नोटिस को तत्काल सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापित करने के लिए।